पत्र-संख्या-स्था0-6-सामान्य स्क्रीनिंग 2017-18 / 2163 / राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(स्थापना-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 12 जुलाई, 2017,

1- एडीशनल कमिश्नर राज्य कर
नोएडा।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1
राज्य कर उत्तर प्रदेश।

3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)
राज्य कर उत्तर प्रदेश।

विषय:- विभाग में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में।

शासन के पत्रांक सं0वि0क0नि0-1-963/11-2017-93/17 दिनांक 11-07-17 के अनुपालन में समूह ग एवं घ के पदों पर दिनांक 31-03-17 तक 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समयबद्ध तरीके से कार्यवाही पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

उक्त सम्बन्ध मे उक्त शासनादेश संख्या- सं0वि0क0नि0-1-963/11-2017-93/17 दिनांक 11-07-17 संलग्नको सहित इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपने जोन के अधीन समूह ग एवं घ के जिन कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी अधीनस्थ स्तर पर उपलब्ध है उनके सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में दिये गए निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-03-17 तक 50 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले य इससे अधिक आयु के ऐसे अकर्मणय कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार स्क्रीनिंग की कार्यवाही दिनांक 17-07-2017 के पूर्व कराकर स्क्रीनिंग किये गए कर्मचारियों की सूची तुरन्त मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। इसी क्रम में यह भी कहना है कि जिन अकर्मणय कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी मुख्यालय पर है उनके विरुद्ध स्क्रीनिंग की कार्यवाही हेतु आवश्यक प्रस्ताव दिनांक 17-07-2017 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाए ताकि उनके विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर शासन को निर्धारित समयावधि में अवगत कराया जा सके।

उक्त कार्यवाही के उपरान्त यदि बाद में किसी ऐसे अकर्मणय कर्मचारी की सूचना संज्ञान में आती है जिसके मामले में विचार किया जाना छूट गया है तो ऐसे मामलों में सम्बन्धित जोन के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) राज्य कर उत्तरदायी मानें जाएगे इसलिए उक्त प्रकरण में गम्भीरतापूर्वक परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि कोई पात्र अकर्मणय कर्मचारी विचार होने से छूट न जाए।

संलग्नक - उक्त।

(अनूप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) राज्य कर,
मुख्यालय।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

2/

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह) राज्य कर मुख्यालय ।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय ।

4- पटल प्रभारी स्था0-3(क/ख/[illegible]) / 4(क/ख/ग/घ) / 5(क)/ग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों से मुख्यालय स्तर से की जाने वाली स्क्रीनिंग की कार्यवाही के मामलों में प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक पटल प्रभारी द्वारा दो दिन के अन्दर निस्तारण की कार्यवाही करायी जाएगी ।

5- समस्त चरित्र पंजिका पटल प्रभारी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 50 वर्ष से अधिक आयु के अकर्मणय कर्मचारियों की चरित्र पंजिका सारांश दिनांक 14-07-17 तक तैयार कर लें और सम्बन्धित पटल प्रभारियों को प्राप्त करा दे ताकि निर्धारित समय के अन्दर स्क्रीनिंग की अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो सके ।

संलग्नक - उक्त ।

(अनूप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) राज्य कर,
मुख्यालय ।

संख्या–सं0वि0क0नि0–1–963 / 11–2017–93 / 17

प्रेषक,

एस0पी0 शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0,
लखनऊ।

सं0वि0 कर एवं निबन्धन अनुभाग–1 लखनऊ::दिनॉक:: 11 जुलाई, 2017

विषयः– सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिये सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग–1 के पत्र सं0–3 / 2017 / 13(1) / 2007 / का–1–2017, दिनॉक 6–7–2017, जो पृष्ठांकन के माध्यम से समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष को भी प्रेषित है, की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्मिक अनु0–1 के संलग्न पत्र दिनॉक 6–7–2017 में की गयी अपेक्षानुसार वाणिज्य कर विभाग के ऐसे सरकारी सेवक, जिनकी आयु दिनॉक 31–3–2017 को 50 वर्ष या इससे अधिक है, के स्क्रीनिंग हेतु विचारण के संबंध में नियमानुसार परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव शासन को दिनॉक 13–7–2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में स्क्रीनिंग की कार्यवाही दिनॉक 31–7–2017 तक अवश्य पूर्ण की जानी है, अतः समयबद्धता अपेक्षित है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

एडी0 कमि0 / एडी0 कमि0 (प्रशा0)

कमिश्नर
11.07.17

1457
11-7-17

301

स० वि० क० नि०-1..965..120

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-3 /2017/13(1)/2007 /का-1-2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

93/17
86-1

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2017

विषय :-सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग ।

166/ACSL/17

महोदय,

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 में प्रकाशित " मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी ।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत वर्णन किया गया है । इस प्रयोजन हेतु शासनादेश संख्या-13/5-89-का-1-1989, दिनांक 06 फरवरी, 1989, शासनादेश संख्या-13/6/98-का-1-98, दिनांक 21 मई, 1998, शासनादेश संख्या-868/13/6-98-का-1-2000, दिनांक 23 सितम्बर, 2000, शासनादेश संख्या-199/का-1-2001, दिनांक 23 सितम्बर, 2000 तथा शासनादेश संख्या-13(1)/2007/का-1-2007, दिनांक 25 जनवरी, 2007 भी निर्गत किये गये हैं ।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव
वाणिज्य कर, मनोरंजन कर
उत्तर प्रदेश शासन।

196/S/VS/17
JSS
10.7.17

3- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है । उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय, नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में

(एस० राजलिंगम)
विशेष सचिव
वाणिज्यकर एवं मनोरंजन कर
उ० प्र० शासन

(एस० पी० शुक्ल)
संयुक्त सचिव,
कर एवं निबंधन विभाग
उ० प्र० शासन।

कर-3 (a)
11.7.17

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 31.07.2017 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय । 50 वर्ष की आयु के निर्धारण हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 31 मार्च, 2017 होगी, अर्थात् ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च, 2017 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी, स्क्रीनिंग हेतु विचारण क्षेत्र में आयेंगे ।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की सूचना संकलित कर, समेकित रूप से, स्वहस्ताक्षर से निर्धारित प्रपत्र पर कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव ।

संख्या- 3 /2017/13(1)/2007(i) /का-1-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव ।